

विशेष सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी को अनुमान्य ग्रेड-पे 2800 से अधिक दिये जाने के संबंध में दिनांक-01.10.18 को आयोजित बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार -

(i) प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, भोजपुर एवं दरभंगा बैठक में अनुपस्थित रहें। उनके उपस्थिति नहीं होने के कारण इन जिलों के संबंध में समीक्षा नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा आहूत बैठक में उक्त कर्मियों के द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना एवं घोर लापरवाही का घोटक है। इस कारण संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय (भोजपुर तथा दरभंगा) के प्रधान लिपिक का दिनांक-01.10.18 का एक दिन का वेतन अवरूद्ध किया जाता है।

(ii) इस संबंध में सिविल सर्जन, भोजपुर एवं दरभंगा से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

2. महालेखाकर बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी जिन्हें PB-1+ 2800 के स्थान पर PB-2+4200/- में वेतन/सेवांत लाभ प्राप्त हुआ है

क्र०	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रभारी चि०पदा०/सिविल सर्जन द्वारा की गयी कार्रवाई	बैठक में दिये गये निदेश
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद राय से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, महनार, वैशाली	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, वैशाली द्वारा बतलाया गया कि संबंधित सेवापुस्त जिला लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित कर महालेखाकार कार्यालय, पटना को भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।
2.	श्री शंकर प्रसाद सिंह से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, बोचहा मुजफ्फरपुर	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि संबंधित सेवापुस्त जिला लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित कर महालेखाकार कार्यालय, पटना को भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
3.	श्री राघव प्रसाद साही से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर	प्रा०चि०पदा०प्रा०स्वा०,केन्द्र कुढ़नी के पत्रांक-322 दि०-30.08.18 के द्वारा 2800/-ग्रेड पे पर पेंशन संशोधित करने का अनुरोध महालेखाकर बिहार, पटना को की गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
4	श्री जगदीश प्रसाद से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, ओकारी, जहानाबाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर श्री जगदीश प्रसाद के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	अधिक भुगतये राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय।
5.	श्री नागेन्द्र शर्मा, से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, सिकरिया, जहानाबाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, कार्यालय, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि श्री नागेन्द्र शर्मा की सेवापुस्त महालेखाकर कार्यालय से वापस आ गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।

6.	श्री भुनेश्वर प्रसाद सिंह, से0नि0	प्रा0स्वा0 केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, नवादा द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर श्री भुनेश्वर प्रसाद सिंह के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	अधिक भुगतेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय
7.	श्री कैलाश झा, से0नि0	प्रा0स्वा0 केन्द्र, बेनीपट्टी, मधुबनी	महालेखाकार के पत्रांक-04 / पेन-270618041706 / 2015 11041843 पी02 दिनांक-12.07.2018 के अनुसार इनका ग्रेड-पे-2800 निर्धारित कर दिया गया है। वसूलनीय राशि 58,691 रूपया के वसूली के लिए सिविल सर्जन, मधुवनी को निदेशित किया गया है।	अधिक भुगतेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय
8.	श्री रघुनाथ राम, से0नि0	प्रा0स्वा केन्द्र, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर	महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति के साथ सेवापुस्त लौटायी गयी है।	आपत्ति के निराकरण कर दिनांक-03.10.18 तक महालेखाकार कार्यालय को भेजने का आश्वासन प्राप्त हुआ।
9.	मो0 यासिन अंसारी, से0नि0	प्रा0स्वा0 केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, नवादा द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर मो0 यासिन अंसारी के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
10.	श्री भृगुनाथ तिवारी, से0नि0	सदर प्रखंड, मोतिहारी पू0 चम्पारण	महालेखाकार के पत्रांक-04 / पेन- 180618041628 / 201211042267 पी02 दिनांक -12.07.2018 के अनुसार इनका ग्रेड-पे- 2800 निर्धारित कर दिया गया है। वसूलनीय राशि 46,530 रूपया के वसूली के लिए सिविल सर्जन, मोतिहारी को निदेशित किया गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11.	श्री अवध प्रसाद सिंह, से0नि0	प्रा0स्वा0 केन्द्र, नारदीगंज, नवादा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, नवादा द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर अवध प्रसाद सिंह के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	अधिक भुगतेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय अधिक

12.	श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, से०नि०	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना	जिला मलेरिया पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-425 दिनांक- 18.08.18 के अनुसार श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है न कि बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ।	
13.	श्री हरिवल्लभ राम से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, दुर्गावती, कैमूर	इनके संबंध में प्रधान लिपिक द्वारा सूचित किया गया है कि इनका ग्रेड-पे-2800 ही दिया गया है।	
14.	श्री इन्द्रचन्द्र प्रसाद से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, जिला मलेरिया कार्यालय, आरा	प्रधान लिपिक, भोजपुर के अनुसार श्री इन्द्रचंद्र प्रसाद बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है, न कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवक।	
15.	श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, देसरी, वैशाली	प्रधान लिपिक द्वारा बतलाया गया है कि इनकी सेवापुस्त महालेखाकर कार्यालय द्वारा वापस भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।
16.	श्री रामाश्रय शर्मा से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, सोनभद्र, बंशी सूर्यपुर, अरवल	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, अरवल द्वारा बतलाया गया कि श्री शर्मा की सेवापुस्त सत्यापित कराकर महालेखाकर कार्यालय को भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
17.	श्री कैलाश पाठक से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, काको, जहानाबाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर कैलाश पाठक के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	तथैव
18.	श्री राजेन्द्र सिंह से०नि०	प्रा०स्वा० केन्द्र, काको, जहानाबाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर राजेन्द्र सिंह के पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	तथैव
19.	श्री रमेश चंद्रा से०नि०	सदर अस्पताल, जहानाबाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर रमेश चंद्रा के पेंशन का पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	अधिक भुगतये राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय

20.	श्री शंकर शर्मा, से0नि0	स्दर प्रखंड, मोतिहरी	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन, मोतिहारी द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकर कार्यालय को सेवापुस्त भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 अप्राप्त।
21.	श्री परमानंद सिंह प्रभाकर, से0नि0	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर	सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक-3228 दिनांक-24.08.18 के अनुसार श्री सिंह बुनियादी स्वास्थ्य निरीक्षक है।	

2. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किये गये बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग कर्मी जिन्हें PB-1+ 2800 के स्थान पर PB-2+4200 /- में वेतन/सेवांत लाभ प्राप्त हुआ है:-

क्र0	जिला का नाम	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम	अभ्युक्ति	
1.	पूर्वी चम्पारण	1. रघुनाथ पंडित, से0नि0	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण द्वारा बतलाया गया कि रघुनाथ पंडित की सेवापुस्त सत्यापित कराकर महालेखाकर कार्यालय को भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
		2. अनवारूलहक, से0नि0	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण द्वारा बतलाया गया कि अनवारूल हक की सेवापुस्त सत्यापित कराकर महालेखाकर कार्यालय को भेजी गयी है।	तथैव
		3. कृष्ण कुमार, (सेवानिवृत्त)	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण द्वारा बतलाया गया कि कृष्ण कुमार की सेवापुस्त सत्यापित कराकर महालेखाकर कार्यालय को भेजी गयी है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 अप्राप्त।
2.	जमुई	1. अरविन्द कुमार (सेवानिवृत्त)	सिविल सर्जन जमुई के पत्रांक-1526 दिनांक-18.08.18 के अनुसार श्री अरविन्द कुमार का पेंशन का निर्धारण 2800 ग्रेड-पे के अनुसार ही किया गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
3.	जहानाबाद	1. स्व0 महेश प्रसाद	प्रधान लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा बतलाया	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 अप्राप्त।

			गया कि स्व० महेश प्रसाद की सेवापुस्त सत्यापित कराकर महालेखाकार कार्यालय को दिनांक-23.09.18 को भेजी जायेगी	
		2.सिंधु सिंह यादव	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय को सेवापुस्त भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।
		3.श्री अवधेश कुमार शर्मा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय को सेवापुस्त भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।
		4.सैयद सेराज अहमद सभी से०नि०	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय को सेवापुस्त भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० अप्राप्त।
4.	खगड़िया	1.बिनोद बिहारी मिश्रा, से०नि०	सिविल सर्जन, खगड़िया के पत्रांक-1659 दिनांक-06.08.18 के अनुसार श्री मिश्रा को 2800 ग्रेड-पे के अनुसार तृतीय वित्तीय उन्नयन में 2800 ग्रेड-पे ही दिया गया है।	
5.	लक्खीसराय	1.महेश प्रसाद सिंह	महालेखाकार के पत्रांक-01/पेन-061017 045426/201411042724 पी०३ दिनांक-25.10.2017 के अनुसार इनका ग्रेड-पे-2800 निर्धारित कर दिया गया है।	वसूलनीय राशि 55,324 रूपया के वसूली के लिए सिविल सर्जन, लक्खीसराय को निदेशित किया गया है।
		2.दुर्गा प्रसाद सिंह, सभी से०नि०	महालेखाकार के पत्रांक-04/पेन-061017 045424/201311042785 पी०३ दिनांक-25.10.2017 के अनुसार इनका ग्रेड-पे-2800 निर्धारित कर दिया गया है।	वसूलनीय राशि 46,926 रूपया के वसूली के लिए सिविल सर्जन, लक्खीसराय को निदेशित किया गया है।
6.	सारण	1.शंभुनाथ सिंह 2. राजेन्द्र प्रसाद सिंह 3. सुरेश कुमार शर्मा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, सारण द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय	अधिक भुगतयेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाय

		(सभी से०नि०)	द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर इन कर्मियों के पेंशन का पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	
7.	वैशाली	1.श्री रामनरेश सिंह से०नि०	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, वैशाली द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा 2800/-ग्रेड-पे पर श्री रामनरेश सिंह के पेंशन का पुनर्निर्धारण का कार्य किया जा चुका है।	पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो गयी है।
8.	मधुवनी	1.रामानंद झा से०नि०	सिविल सर्जन, मधुवनी के पत्रांक-2085 दिनांक-28.08.18 के अनुसार श्री झा को 2800/-ग्रेड पे के आधार पर ही पेंशन/उपादान की स्वीकृति महालेखाकार बिहार, पटना के पी०पी०ओ० सं०-201411042841 द्वारा दी गयी है।	
9.	मुजफ्फरपुर	1.श्री हरिनाराण चौधरी	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि श्री हरनारायण चौधरी के सेवापुस्त रिविजन तथा सत्यापन कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी०पी०ओ० प्राप्त। अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
		2.श्री मदन प्रसाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि श्री मदन प्रसाद के सेवापुस्त रिविजन तथा सत्यापन कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	तथैव
		3.श्री जगदीश प्रसाद	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि श्री जगदीश प्रसाद के सेवापुस्त रिविजन तथा सत्यापन कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	तथैव

	4 श्री उग्रेश झा	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि श्री उग्रेश झा के सेवापुस्त रिविजन तथा सत्यापन कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	महालेखाकार कार्यालय से पी0पी0ओ0 अप्राप्त।
	5.श्री रामस्वारथ राजेश सभी से0नि0	प्रधान लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि श्री रामस्वाराथ राजेश के सेवापुस्त का रिविजन तथा सत्यापन कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया है।	तथैव

3. 29 जिला यथा— 1.अररिया, 2.औरंगाबाद, 3.बांका, 4.बेगुसराय 5.भागलपुर, 6. भोजपुर, 7.गया, 8. गोपालगंज, 9. किशनगंज, 10.मधेपुरा, 11.नालंदा, 12. पटना, 13.रोहतास, 14. समस्तीपुर, 15.शेखपुरा, 16.शिवहर, 17.सीतामढ़ी, 18. सिवान, 19. सुपौल एवं 20. पश्चिम चम्पारण 21. पूर्णिया 22.सहरसा 23.कटिहार 24. नवादा 25. अरवल 26.दरभंगा 27.कैमूर 28.मधुवनी 29.मुंगेर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सिविल सर्जन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग का ग्रेड-पे 2800 से अधिक नहीं दिया गया है। ऐसा कोई मामला उनके यहाँ लंबित नहीं है।

4. **ANM- का रोस्टर क्लीयरेंस:-** 13 जिला यथा— औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, गोपालगंज, लक्खीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा पूर्णियां, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान सुपौल जिलों द्वारा प्रशाखा को उपलब्ध करा दी गयी है। 13 जिला यथा—बांका, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं वैशाली संबंधित जिलाधिकारी के पास उपस्थापित है। अतः उपरोक्त 26 जिलों को छोड़कर बाकी 12 जिला यथा— अररिया, अरवल, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, गया, कैमूर, खगड़िया, समस्तीपुर एवं सारण के सिविल सर्जन तथा प्रधान लिपिक इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

ए0एन0एम0 के वेतनादि संबंधी वार्षिक आवंटन के लिए अधियाचना :- सभी को निदेश दिया गया कि ए0एन0एम0 के वतनादि संबंधी वार्षिक आवंटन हेतु अधियाचना एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. **ECG Technician का रोस्टर क्लीयरेंस :-** बांका, बेगुसराय, गया, नालंदा एवं शेखपुरा द्वारा जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित रोस्टर उपलब्ध करा दी गयी है। अन्य जिलों को भी यथाशीघ्र जिलाधिकारी द्वारा इ0सी0जी0 टैक्नीशियन का अनुमोदित रोस्टर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

6. OT. Assistant & Lab Technician का जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस करवाकर यथाशीघ्र भेजने का निदेश उपस्थित प्रधान लिपिकों को दिया गया।

7. यह भी निदेश दिया गया कि जिले में सभी पदस्थापित Para Medicals संवर्ग के कर्मियों के नाम पदस्थापन स्थान, एवं पदस्थापन अवधि यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनके पदस्थापन को तार्किक या युक्तिसंगत बनाया जा सके। कुछ जिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04, 06, 10, 11, 12 इसका डटाबेस तैयार करायेंगे तथा कहां-कहां से प्रतिवेदन अप्राप्त है, इसकी विवरणी के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहेंगे।
8. दवा भंडार के निरीक्षण के संबंध में:- जिले के सभी अस्पतालों के दवा भंडार का निश्चित समयान्तराल पर नियमानुसार भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय ताकि कोई भी दवा एक्सपायर नहीं हो सके। संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. विभाग के निम्न प्रशाखा अंतर्गत लंबित समादेश याचिका की जिलावार सूची निम्नवत है:-

क्र०	जिला	प्रशाखा- 04	प्रशाखा- 06	प्रशाखा- 10	प्रशाखा- 11	प्रशाखा- 12	कुल
1	अररिया	07	00	00	00	00	07
2.	अरवल	05	00	00	01	00	06
3.	औरंगाबाद	13	02	00	00	00	15
4.	बांका	09	01	00	00	00	10
5.	बेगुसराय	18	00	00	00	00	18
6.	बेतियां	09	02	00	00	02	13
7.	भागलपुर	08	03	01	01	05	18
8.	भोजपुर	12	01	01	01	00	15
9.	बक्सर	01	00	00	00	01	02
10.	दरभंगा	11	02	00	00	02	15
11.	मोतिहारी	00	01	01	01	00	03
12.	गया	19	01	00	00	01	21
13.	भभुआ	01	01	00	00	00	02
14.	जमुई	04	00	00	03	01	08
15.	जहानाबाद	08	01	01	00	01	11
16.	कटिहार	04	00	01	01	00	06
17.	खगड़िया	04	01	00	00	03	08
18.	किशनगंज	02	00	00	00	00	02
19.	लखीसराय	04	00	00	01	01	06
20.	मधेपुरा	03	00	00	02	00	05
21.	मधुबनी	29	03	00	01	03	36
22.	मुंगेर	05	00	00	01	00	06
23.	मुजफ्फरपुर	10	01	00	03	03	17
24.	नालंदा	00	01	00	00	01	02
25.	नवादा	09	01	00	01	00	11
26.	पटना	25	15	02	03	04	49
27.	रोहतास	03	02	02	01	02	10
28.	सहरसा	07	00	00	02	00	09
29.	समस्तीपुर	11	01	02	01	03	18



30.	सारण	11	01	02	02	04	20
31.	शेखपुरा	00	00	00	00	00	00
32.	शिवहर	00	00	00	00	00	00
33.	सिवान	04	01	00	00	01	06
34.	सितामढ़ी	08	00	00	00	03	11
35.	सुपौल	00	00	01	00	00	01
36.	वैशाली	04	00	00	02	00	06
37.	गोपालगंज	02	00	01	03	02	08
38.	पूर्णियां	15	00	00	00	01	16

**अवमाननावाद की जिलावार सूची**

1	अररिया	01	00	00	00	00	01
2.	अरवल	01	00	00	00	00	01
3.	औरंगाबाद	05	00	00	00	00	05
4.	बांका	00	01	00	00	00	01
5.	बेगुसराय	05	00	00	00	00	05
6.	बेतियां	01	00	00	00	00	01
7.	भागलपुर	00	01	00	00	00	01
8.	भोजपुर	01	00	00	00	00	01
9.	बक्सर	00	00	00	00	00	00
10.	दरभंगा	02	01	00	00	00	03
11.	मोतिहारी	02	01	00	00	00	03
12.	गया	03	00	00	00	00	03
13.	भभुआ	01	00	00	00	02	03
14.	जमुई	00	00	00	00	00	00
15.	जहानाबाद	02	00	00	00	00	02
16.	कटिहार	01	00	00	00	00	01
17.	खगड़िया	00	00	00	01	00	01
18.	किशनगंज	01	00	00	00	00	01
19.	लखीसराय	00	00	00	00	00	00
20.	मधेपुरा	02	00	00	00	00	02
21.	मधुबनी	14	00	00	01	00	15
22.	मुंगेर	01	01	00	00	00	02
23.	मुजफ्फरपुर	06	00	00	01	01	08
24.	नालंदा	00	00	00	01	00	01
25.	नवादा	06	00	00	00	00	06
26.	पटना	05	02	00	00	00	07
27.	रोहतास	01	00	00	00	00	01
28.	सहरसा	00	00	00	00	00	00
29.	समस्तीपुर	01	01	00	00	00	02
30.	सारण	00	00	00	01	00	01
31.	शेखपुरा	00	00	00	00	00	00

32.	शिवहर	01	00	00	00	00	01
33.	सिवान	00	00	00	00	00	00
34.	सितामढ़ी	00	00	00	00	00	00
35.	सुपौल	00	00	00	00	00	00
36.	वैशाली	02	00	00	00	00	02
37.	गोपालगंज	00	00	00	00	00	00
38.	पूर्णियां	01	00	00	00	01	02

- उपरोक्त समादेश याचिका/अवमाननावाद में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए ससमय शपथ पत्र दायर कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निदेश दिया गया।
11. अगली बैठक दिनांक-25.10.18 को 11.00 बजे निर्धारित की जाती है।  
सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह0/-

(राधेश्याम साह)

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 137/वि.स.का

/स्वा0,पटना, दिनांक- 04.10.2018

प्रतिलिपि - संबंधित सिविल सर्जन एवं उनके प्रधान लिपिक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4 एवं 6, 10, 11, 12 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/10/18

विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना